ISSN 2231-1629 Knowledge Resonance
A Half Yearly National Peer-Reviewed & Indexing with SJIF Impact Factor Research Journal
IMPACT FACTOR 8.072

भारतीय समाज और विवाह संस्था का परिवर्तित स्वरूप: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

Dr. Usha Kiran Tiwari
Associate Professor & Head,
Department of Sociology, B. M. Ruia Girls' College, Mumbai

Abstract
विवाह एवं परिवार विश्व समाज की प्राचीनतम संस्थाओं में से एक हैं। विवाह संस्था परिवार संस्था का आधार है। यह भी कहा जा सकता है कि विवाह संस्था एक नवीन परिवार की नींव रखती है तथा परिवारों की श्रृंखला को विधिवत आगे ले जाने का कार्य करती है। परंतु वर्तमान में इन दोनों संस्थाओं में ही अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। वैसे तो परिवर्तन अवश्यम्भावी है, किन्तु अभी तक इन दोनों संस्थाओं में अत्यंत धीमी गति से परिवर्तन हुए थे। वर्तमान समय में भूमंडलीकरण, विवाह संबंधी कानूनों में परिवर्तन, स्त्रियों की प्रस्थिति में परिवर्तन और इंटरनेट की तीव्र गति के साथ-साथ दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है। भारतीय समाज में विवाह संस्था में भी अलग-अलग परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में सर्वेक्षण पद्धति द्वारा प्राथमिक तथ्य एकत्रित किए गए हैं एवं उनके विश्लेषण के द्वारा विवाह संस्था में आए हुए वर्तमान एवं भावी परिवर्तनों को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है

Key Words –
भारतीय समाज ,स्त्रियाँ, परिवार, विवाह संस्था, परिवर्तन

प्रस्तावना

According to Girija Khanna and Mariamma A. Varghese,

"Marriage as an institution has existed in every form of society from time immemorial. Whether marriage was considered a magic ritual, a religious sacrament, or a legal contract, it has been recognised to serve certain basic functions….. In short, marriage caters to the very basic needs of men and women by providing security, companionship, and stability, forming the nucleus of family life. Marriage thus becomes vital for human happiness."

उपर्युक्त कथन यह सिद्ध करता है कि विवाह संस्था विश्व की प्राचीनतम संस्थाओं में से एक है। साथ ही यह स्त्री एवं पुरुष की मूलभूत आवश्यकताओं यथा -सुरक्षा, साथ, स्थायित्व एवं परिवार की स्थापना में अहम् भूमिका निभाती है। विवाह मानव प्रसन्नता हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपने बदलते हुए स्वरूपों के साथ भी विवाह संस्था अपने महात्म्य को बरक़रार रखे हुए है।

विवाह में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से सहभागी होते हैं, किन्तु वैदिक काल के अपवादों को छोड़ दें तो भारतीय समाज के वैवाहिक निर्णयों में स्त्रियों की भागीदारी अत्यंत नाममात्र की रह गई थी, जो वापस अपने स्थान को प्राप्त कर रही है। विवाह जैसे पूर्ण जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय में स्त्रियों की पसंद-नापसंद का कोई विचार नहीं किया जाता था। लैंगिक असमानता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो मापदंड एक अच्छी बहू के लिए अनिवार्य माने जाते थे, उनका पुरुषों के लिए अस्तित्व ही नहीं था। उदाहरण के लिए, शारीरिक सौंदर्य स्त्रियों के विवाह के लिए एक प्रमुख पैमाना था। साथ ही उसका शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णरूपेण स्वस्थ होना अनिवार्य माना जाता था। कितनी बार तो विवाह के लिए वधू देखने गई स्त्रियां विवाह योग्य कन्या को सुई में धागा डलवाकर आँखों के ठीक होने का प्रमाण लेती थीं। अपने सामने पैदल चलवाकर पैरों के ठीक होने का प्रमाण लेती थीं। यहाँ तक कि रसोईघर में अपने सामने खाना बनवाकर देखती थीं कि विवाह योग्य कन्या को भोजन बनाना आता है या नहीं। दूसरी तरफ वर के लिए यह मुहावरा प्रचलित था और उस पर अमल भी किया जाता था कि "घी का लड्डू टेढ़ा भी भला" यानि जिस प्रकार घी का लड्डू टेढ़ा भी हो गया, तो भी लोग उसे ख़ुशी से खाते हैं, उसी प्रकार वर के शारीरिक या मानसिक दोष नहीं देखे जाते, उसका पुरुष होना ही पर्याप्त होता है। स्पष्ट है कि जब स्त्री को एक वस्तु की भांति विवाह से पूर्व जांचा- परखा जाता था, तो उसकी पसंद जानने का प्रश्न ही नहीं उठता था। वर्तमान में इन परिस्थितियों में परिवर्तन आया है जो भारत के शहरी क्षेत्रों में अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कम पाया जाता है। अब विवाह योग्य स्त्रियों की पसंद-नापसन्द को महत्त्व दिया जाने लगा है। इस शोध में चयनित उत्तरदाताओं के वक्तव्य भी इसकी पुष्टि करते हैं।

शोध उद्देश्य –

प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं।

1. विवाह संस्था में आए हुए वर्तमान परिवर्तनों को ज्ञात करना।
2. विवाह संस्था में आए हुए भावी परिवर्तनों को ज्ञात करना ।
3. विवाह संस्था के प्राचीन स्वरूप एवं वर्तमान स्वरुप का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन पद्धति

इस शोधपत्र में अध्ययन पद्धति के रूप में सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया है एवं तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक तथ्यों का प्रयोग किया गया है। सर्वेक्षण में विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता निर्माण हेतु गूगल फॉर्म द्वारा तथ्य संकलन किया गया है। अशिक्षित या कम शिक्षित उत्तरदाताओं को अनुसूची प्रविधि के नियमों के अनुसार उनसे उत्तर ज्ञातकर फॉर्म भरने में उनकी सहायता की गई है। साहित्य पुनरावलोकन हेतु तथ्यों के द्वितीयक श्रोतों का भी उपयोग किया गया है। निदर्शन हेतु 50 उत्तरदाताओं का चयन किया गया था, जिसमें से अधिकांश महिला उत्तरदाता थे। उत्तरदाताओं में से अधिकांश युवा वर्ग के व्यक्तियों का चयन किया गया था , जिससे विवाह संस्था में वर्तमान में घटित हुए तथा भावी परिवर्तनों को जाना जा सके। शोधक्षेत्र के रूप में मुंबई का चयन किया गया है, एवं सुविधाजनक निदर्शन पद्धति के द्वारा उत्तरदाताओं को चयनित किया गया है।

तथ्य विश्लेषण

प्रस्तुत शोध अध्ययन में विवाह के परिवर्तित स्वरुप पर आधारित कुल 20 प्रश्नों का निर्माण किया गया था , जिसमें से पांच खुले प्रश्न थे एवं 15 बंद प्रश्न थे । बंद प्रश्नों हेतु बहु विकल्पीय उत्तर प्रदान किये गए थे और उत्तरदाताओं ने अपनी वैचारिकता के आधार पर उत्तरों का चयन किया।

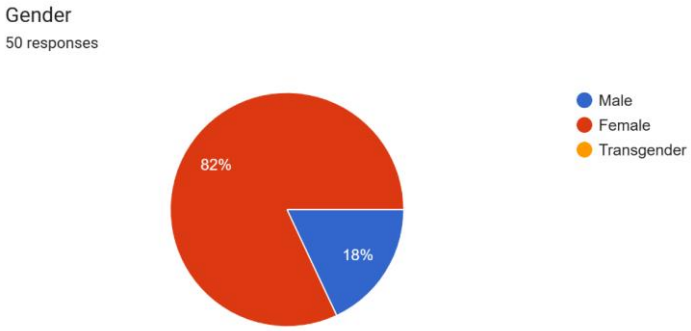

प्रस्तुत शोधपत्र में उत्तरदाताओं में स्त्रियों का प्रतिशत 82% था एवं पुरुषों का प्रतिशत 18% था । स्पष्ट है कि स्त्रियों के विचारों की प्रमुखता इस शोधपत्र में देखने को मिलती है । कुछ दशक पूर्व तक विवाह में स्त्रियों की इच्छा- अनिच्छा का कोई महत्त्व नहीं होता था। बाल - विवाह के प्रचलन के कारण कन्या की उम्र भी काफी कम होती थी और उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार उनके विवाह के सम्बन्ध में निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता था। किन्तु वर्तमान में परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। अब ग्राम हो या नगर, कन्या की पसंद - नापसंद का विचार भी विवाह सम्बन्धी निर्णय लेते हुए किया जाता है।

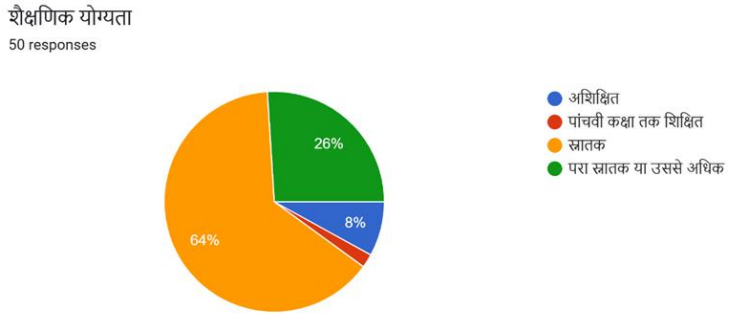

इस शोध पत्र में सर्वेक्षण में 64% उत्तरदाता स्नातक थे और 26% परास्नातक। स्पष्ट है कि 90% उत्तरदाता उच्च शिक्षित थे। 8% उत्तरदाता अशिक्षित थे और 2% उत्तरदाता पांचवी कक्षा तक शिक्षित। इस सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि मुंबई महानगर का निदर्शन द्वारा चयनित शिक्षित वर्ग विवाह के परिवर्तित स्वरूप के संबंध में क्या सोचता है?

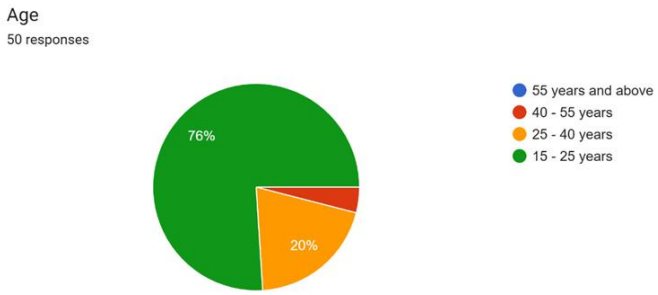

सर्वेक्षण में 78% उत्तरदाता 15-25 वर्ष की आयु समूह के थे और 20% 25 से 40 वर्ष की आयु समूह के। अर्थात उत्तरदाताओं में अधिकांश युवा वर्ग के थे। इस सर्वेक्षण से युवा वर्ग के विचारों को जानने का अवसर मिला है।

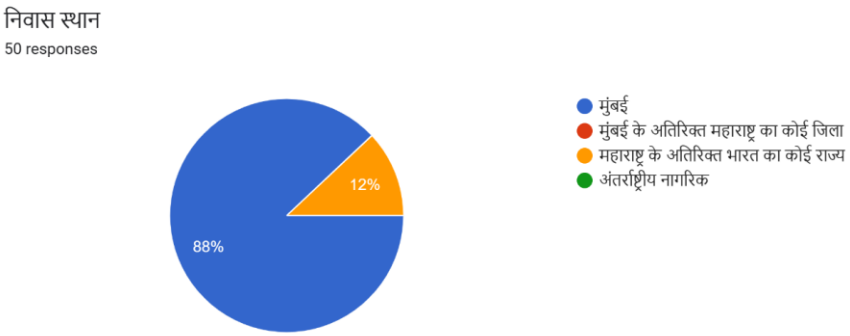

इस सर्वेक्षण में महाराष्ट्र के मुंबई महानगर के 88% उत्तरदाताओं का चयन किया गया था । अन्य 12% उत्तरदाता भारत के अन्य राज्यों से थे ।

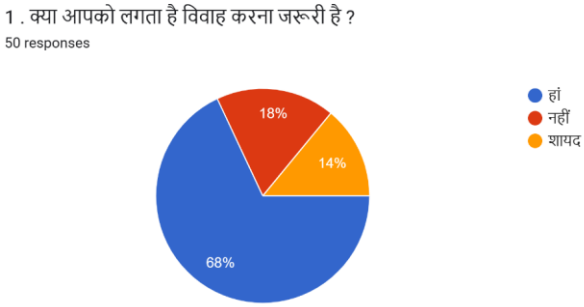

प्रस्तुत सर्वेक्षण में विवाह की अनिवार्यता के संबंध में प्रश्न किये गए। इसके उत्तर में 68% उत्तरदाताओं ने हां कहा किंतु 18% उत्तरदाताओं ने नहीं में जवाब दिया और 14% उत्तरदाता यह निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि विवाह अनिवार्य है अथवा नहीं। यह उत्तर विवाह संस्था में आये हुए परिवर्तनों की ओर इंगित करता है। जहां एक तरफ प्राचीन भारतीय समाज में विवाह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता था और चार आश्रमों के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना जाता था, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही चारों पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्ति में सहायक होता था। किंतु वर्तमान में पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था के विषय में जानकारी पुस्तक के पृष्ठों तक ही सीमित रह गई है। या कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के इस दौर में आश्रम व्यवस्था के स्थान पर नवीन विकल्प उभरकर सामने आये हैं, जिन्हे समाज अधिक सुविधाजनक और लाभदायक समझ रहा है। इसीलिए भी विवाह संस्था का महत्व घटता जा रहा है और उसका स्थान अन्य संस्थाएं ले रही हैं।

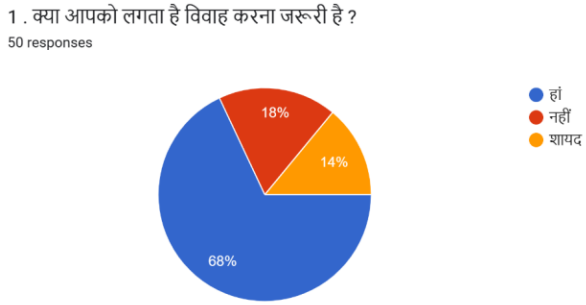

प्रस्तुत सर्वेक्षण में विवाह की आयु के संबंध में भी प्रश्न किए गए। उत्तरदाताओं में से 50% लोगों ने विवाह की आदर्श आयु 18 से 25 वर्ष बताई। जबकि 46% उत्तरदाताओं ने विवाह की आदर्श आयु 26 से 30 वर्ष बताई। 4% उत्तरदाताओं ने विवाह की आदर्श आयु 36 वर्ष से अधिक बताई, जो विलम्ब विवाह को मान्यता देता है। भारतीय समाज में काफी लम्बे समय तक बाल विवाह प्रचलित था और विशेष रूप से कन्या का विवाह 10-11 वर्ष की आयु तक कर दिया जाता था। आज विवाह की आदर्श आयु समाज एवं कानून द्वारा स्वीकृत आयु से भी आगे जा चुकी है, अर्थात युवा पीढ़ी विवाह की आयु के संबंध में अत्यंत जागरुक है और इस सम्बन्ध में अपने निर्णय लेने के लिए स्वयं को स्वतंत्र मानती है। प्राचीन समय में विवाह का निर्णय परिवार के वृद्ध व्यक्तियों द्वारा लिया जाता था और उसमें वर - वधू की भूमिका नगण्य होती थी। किंतु वर्तमान में स्थितियां पूर्व की अपेक्षा विपरीत होती जा रही हैं, जो विवाह संस्था में आए हुए परिवर्तनों का द्योतक है।

सर्वेक्षण में पूछा गया कि क्या विवाह से पहले अपने जीवनसाथी से मिलना जरूरी है? इस प्रश्न के उत्तर में 80% उत्तरदाताओं ने हाँ में जवाब दिया। स्पष्ट है कि परिवार जनों द्वारा तय किए हुए विवाह का समय अब बीत चला है और युवा वर्ग अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को किसी और के, चाहे वे परिवारजन हों या कोई और, के हाथ में देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।

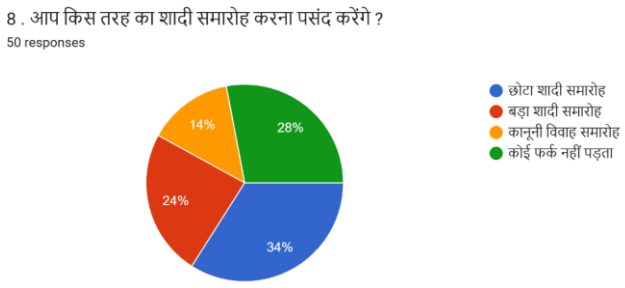

सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि वे किस तरह का विवाह समारोह करना पसंद करेंगे? जिसके उत्तर में मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ उत्तरदाताओं ने छोटे समारोह को वरीयता दी तो कुछ ने बड़े समारोहों को। और कुछ ने कानूनी विवाह की बात कही। 28% उत्तरदाताओं ने यह भी कहा कि विवाह समारोह छोटा हो अथवा बड़ा उन्हें फर्क नहीं पड़ता। स्पष्ट है कि प्राचीन समय में जहां विवाह समारोह पूर्ण समुदाय का समारोह होता था, और समुदाय के सभी व्यक्ति उस समारोह में सम्मिलित होते थे। वहीं वर्तमान में यह एक व्यक्तिगत समारोह में परिवर्तित हो गया है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की पसंद नापसंद के अनुसार इस समारोह को करना पसंद करता है। समूह एवं समुदाय की भूमिका इसमें नगण्य हो चली है।

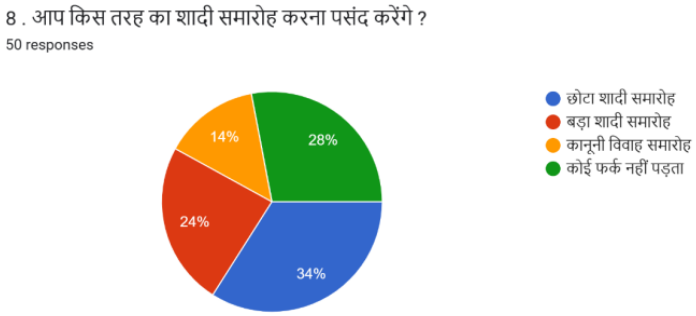

सर्वेक्षण में एक प्रश्न विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में उनकी राय पर भी था। 64% उत्तरदाताओं ने कहा कि यह निर्णय परिस्थितियों पर निर्भर करता है , जबकि 30% का कहना था कि यह एक उचित विकल्प नहीं है। केवल 6% उत्तरदाताओं का मानना था कि तलाक एक उचित विकल्प है। कहा जा सकता है कि तलाक सम्बन्धी कानून बनने के इतने वर्षों के बाद भी भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग ने उसे उचित विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि हिन्दू धर्म में विवाह सात जन्मों का बंधन माना गया है और विवाह विच्छेद की संकल्पना का इसमें कोई स्थान नहीं है।

प्रस्तुत सर्वेक्षण में अनेक खुले प्रश्न भी पूछे गए, जिसका उत्तरदाताओं ने अच्छी तरह से जवाब दिया। इनमें से एक प्रश्न लिव -इन संबंधों की कानूनी वैधता के सम्बन्ध में भी था, जिस पर उत्तरदाताओं ने खुलकर अपने विचार व्यक्त किये। कुछ उत्तरदाताओं ने इसे सही निर्णय माना। वहीं अनेक का यह मानना था कि भारतीय समाज में यह स्वीकार योग्य नहीं है। कुछ उत्तरदाताओं का यह मानना था कि भारतीय समाज में लिव-इन संबंधों का परिणाम उचित परिलक्षित नहीं हो रहा है, क्योंकि यह निर्णय समय से पहले आ गया है और भारतीय समाज इस संकल्पना के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है।

सर्वेक्षण में विवाहोपरांत बच्चों की संभावित आदर्श संख्या के सम्बन्ध में भी प्रश्न पूछे गए थे। अधिकांश उत्तरदाता एक या दो बच्चों के पक्ष में पाए गए। कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी कहा कि बच्चे उत्पन्न करना आवश्यक नहीं है, जबकि कुछ उत्तरदाताओं ने बच्चे गोद लेने की बात कही।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध के निष्कर्षों से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान में विवाह संस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं और इन परिवर्तनों के निरंतर जारी रहने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। विवाह संस्था में आये हुए परिवर्तनों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव परिवार संस्था पर भी पड़ रहा है और इसीलिए भारतीय पारिवारिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्राचीन भारतीय समाज में विवाह का प्रथम उद्देश्य धार्मिक कृत्यों का पालन एवं द्वित्तीय उद्देश्य संतानोत्पत्ति था। धार्मिक कृत्यों का पालन वैसे भी पूर्व की तुलना में कम हो चुका है और संतान प्राप्ति हेतु भी विवाह अनिवार्य नहीं रह गया है। एक तरफ आज बहुत से दम्पति स्वेच्छा से बच्चे उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बहुत से दम्पति गोद लेने अथवा सरोगसी को वरीयता दे रहे हैं। जहाँ प्राचीन समय में ये सारे विकल्प विवशता में लिए जाते थे, वहीं आज जानबूझकर अपनी इच्छा से लिए जा रहे हैं, जो विवाह तथा परिवार संस्था में आये हुए परिवर्तनों की पुष्टि करता है।

विवाह का तृतीय उद्देश्य यौन इच्छाओं की पूर्ति था, जो वर्तमान में प्रथम उद्देश्य बन चुका है। साथ ही विवाह के अनेक विकल्प यथा लिव- इन सम्बन्ध इत्यादि को कानूनी वैधता मिल चुकी है। अतः यौन इच्छाओं की पूर्ति हेतु भी विवाह अनिवार्य नहीं रह गया है। यदि इसी गति से विवाह की अनिवार्यता कम होती गई तो भविष्य में विवाह संस्था में गंभीर परिवर्तन आने की संभावनाएं बढ़ जाएँगी।

जिस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में अपवाद पाए जाते हैं, उसी प्रकार विवाह संस्था भी इससे अछूती नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रत्येक क्षेत्र में विविधता पाई जाती है। स्पष्ट है कि विवाह संस्था में परिलक्षित होने वाले ये परिवर्तन देश के महानगरीय निदर्शन द्वारा प्राप्त है। ग्रामीण या जनजातीय समुदायों में संभवतः ये परिवर्तन उतने तीव्र नहीं होंगे, जितने कि नगरीय एवं महानगरीय क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं। किन्तु भविष्य में ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों की विवाह संस्थाओं में भी तीव्र गति से परिवर्तन होने की पूर्ण सम्भावना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- *Prabhu, H. P. (1979). Hindu Social Organization. Popular Prakashan Private Limited. Bombay.*
- *Nayak, S. & Nair J. (2005). Women's Empowerment in India. Pointer publishers. Jaipur.*
- *Khanna, G. & Varghese A. M. (1978). Indian women today. Vikas Publishing House Private Limited. Bombay.*
- *कपूर, प्रमिला (1976). भारत में विवाह और कामकाजी महिलाएं. राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.*